कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकार
जिला – सक्ती (छ.ग.)

Gmali - dwcdosakti@gmail.com

क्रमांक /2188/म.बा.वि./न.बि./2024–25 सक्ती, दिनांक 28/03/2025

–:: विज्ञापन ::–

छ.ग. शासन, मबावि, का पत्र क्रमांक एफ– 3–1/2022/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 20.12.2024 के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन के लिए संचालित नवा बिहान योजना अंतर्गत जिला सक्ती में रिक्त पदों पर पदपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। विज्ञपित का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	प्रतिमाह एकमुश्त संविदा वेतन	पदों की संख्या	रिमार्क
1	महिला संरक्षण अधिकारी	लेवल–12	51780	1	–

योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। उक्त पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से दिनांक 30.04.2025 तक समय शाम 05:00 PM तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सक्ती (जेठा लवसरा रोड रिपा सेंटर) पिनं कोड नं. 495689 के पते पर आमंत्रित किये जाते है।

नवा बिहान योजनान्तर्गत भर्ती संबंधी विस्तृत विवरण पृथक से परिष्टिश्ट–01 में संलग्न है। नियुक्ती निर्देश की कड़िका 2.15 के अनुसार नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र कें संबंध में प्राप्त मासिक वेतन या मानदेय के सत्यापन हेतु बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की स्वप्रमाणित छाया प्रति व शपथ पत्र 50रू. के स्टाम्प में देना होगा शपथ पत्र में उल्लेखित हो की पासबुक में अंकित राशि उक्त अवधि का वेतन / मानदेय है। यदि यह जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुये सेवा समाप्त की कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेंदार रहुँगी।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

सुधाकर बोदले
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला सक्ती(छ.ग.)

पृ.क्रमांक /2189/म.बा.वि./न.बि./2024–25 सक्ती, दिनांक 28/03/2025

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
2. कलेक्टर, जिला सक्ती(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग की ओर समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करने हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सक्ती को शासकीय वेब साईट https://sakti.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय कलेक्टर एवं विभागीय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
जिला सक्ती(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

–:: आवेदन का प्रारूप ::–

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए

प्रति,

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
जिला सक्ती (छ.ग.)

01. आवेदित पद का नाम :– ....

02. आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :– ....

(अंग्रेजी में) :– ....

03. पिता/पति का नाम :– ....

04. स्थायी पता :– ....
....
....

05. पत्र व्यवहार का पता :– ....
....
....

06. A जन्म तिथि (अंको में) :– ....

B जन्म तिथि (शब्दो में) :– ....

07. दिनांक 01.01.2025 को आयु :– ....

08. जाति/वर्ग (अजा./अजजा/अपिव/सामान्य) :– ....

09. क्या आवेदिका भास./अर्द्धशासकीय/निजी संस्था में सेवारत है? :– ....

10. विवाहित/अविवाहित/विधवा/परित्यकता :– ....

11. यदि आप विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि एवं जीवित संतान :– विवाह तिथि ....

:– बच्चो की संख्या ....

12. भौक्षणिक योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाईस्कूल परीक्षा					
2	हायर सेकेंडरी					
3	विधि स्नातक/ एमएसडब्ल्यू					

13. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

Scanned with OKEN Scanner

14. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न हाँ/नहीं) :– ....

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

टीप :– अनुभव के संबंध में प्राप्त मासिक वेतन या मानदेय के सत्यापन हेतु बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की स्वप्रमाणित छाया प्रति व शपथ पत्र 50रू. के स्टाम्प में देना होगा शपथ पत्र में उल्लेखित हो की पासबुक में अंकित राशि उक्त अवधि का वेतन / मानदेय है। यदि यह जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुये सेवा समाप्त की कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेंदार रहुँगी।

15. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची :–

01. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंक सूची/प्रमाण पत्र।
02. 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
03. स्नातक विधि/एमएसडब्ल्यू की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
04. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
05. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
06. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।

16. अन्य संलग्न का विवरण :–

01. .... 02. ....

03. .... 04. ....

05 .... 06 ....

आवेदिका का हस्ताक्षर

–:: घोषणा पत्र ::–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ, कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदिका का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

नवा बिहान योजनांतर्गत जिला स्तरीय पदों पर नियुक्त होने वाले महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्तें

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 केन्द्रीय अधिनियम है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र शासन द्वारा नियम बनाये गये है। अधिनियम की कियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों का है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, आश्रय एवं पुर्नवास, परामर्श सुविधा एवं घरेलू हिंसा रिपोर्ट तैयार किये जाने की सुविधा आदि उपलब्ध कराया जाना है। अधिनियम का कियान्वयन हेतु नवा बिहान योजना संचालित है।

नवा बिहान योजना अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :-

1. नवा बिहान योजना अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व –

क्रं.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	महिला संरक्षण अधिकारी	विधि स्नातक / एमएसडब्ल्यू	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस / वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	विधि स्नातक को न्यूनतम 05 वर्ष तक बार में पंजीकृत होकर नियमित प्रेक्टिस का अनुभव होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू को शासकीय / अर्द्ध शासकीय अथवा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान में महिला कल्याण, देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान। (कौशल परीक्षा ली जाएगी।)

2. उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तें :-

2.1 इन पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 (यथा संशोधित) के अधीन किया जावेगा ये पद जिला स्तरीय पद हैं। अतः नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

2.2 योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

2.3 संविदा नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय, जिला स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिया जावेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

2.4 संविदा नियुक्ति अवधि में राज्य के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता, मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।

2.5 इन पदों हेतु उपरोक्त निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 22/2023 में निर्धारित किए गए मासिक संविदा वेतन के अनुसार है तथा इन पदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत किए गए एकमुश्त संविदा वेतन के अनुसार ही होंगे।

2.6 संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

2.7 संविदा पर नियुक्त किए गए इन संविदाकर्मियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार ही अवकाश एवं यात्रा भत्ता सुविधा की पात्रता होगी।

2.8 आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.9 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

2.10 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। संविदा नियुक्ति होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.11 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

2.12 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

2.13 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

2.14 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

2.15 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

2.16 शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। प्रेक्टिसिंग लायर को बार काउंसिल का प्रमाण-पत्र तथा सुसंगत दस्तावेज व अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.17 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

2.18 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

2.19 लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/टाईपिंग एवं कम्प्यूटर परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

2.20 प्रेक्टिसिंग लायर का संरक्षण अधिकारी के पद पर चयन होने की दशा में उसे वकालत/प्रेक्टीस करने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे बार कॉउंसिल को अपना लाईसेंस समर्पित करना होगा।

2.21 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ रू. 5/- का टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी संलग्न करें।

3. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

3.1 उपरोक्त पद जिला स्तरीय संविदा पद हैं, अतः आवेदन पत्र संबंधित जिले में ही प्रस्तुत किया जाना होगा। जिले में इन पदों पर नियुक्ति हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति होगी। यह चयन समिति ही चयन संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करेगी।

3.2 प्रत्येक रिक्त पदवार आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा मैरिट सूची तैयार की जाएगी। मैरिट सूची में निम्नानुसार 100 प्रतिशत अंकों का वैटेज देते हुए, निर्धारित किए गए अंकों के आधार पर प्राप्तांकों से मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

पदनाम	चयन प्रक्रिया
महिला संरक्षण अधिकारी	• वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 प्रतिशत अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। • न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 20 अंक तथा • लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 20 अंक निर्धारित रहेंगे।

3.3 संरक्षण अधिकारी के पद पर केवल पात्र महिला उम्मीदवारों की ही मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

3.4 मैरिट सूची तैयार करते समय चयन हेतु समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन उम्मीदवारों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।

4. चयन हेतु उम्मीदवारों के पात्रता/अपात्रता एवं प्राप्त आवेदनों के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही संबंधित पद पर उपस्थिति मान्य की जावेगी।

6. आवेदकों को निम्नानुसार दस्तावेज़ अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

6.2 जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि का उल्लेख हो।

6.3 विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र।

6.4 अनिवार्य न्यूनतम अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज।

6.5 अनिवार्य कौशल से संबंधित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हो तो प्रस्तुत करें।

6.6 संरक्षण अधिकारी के पद पर एल.एल.एम./विधि में पी.एच.डी आवेदक होने पर डिग्री/प्रमाण-पत्र।

6.7 उम्मीदवार यदि केन्द्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हों तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.8 रूपये 50/- के स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित आयु सीमा के पूर्व विवाह न होने संबंधी नोटरी से अभिप्रमाणित किया हुआ शपथ-पत्र।

6.9 पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्रॉफ्स।

6.10 रूपये 10/- की डाक टिकट लगा, अपने पत्राचार का पूर्ण पता लिखा हुआ एक लिफाफा।

Scanned with OKEN Scanner